

सुर्खियों में राज्यपाल: भारत में सुधार का आह्वान

यह एडिटरियल 03/01/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित ["Raj Bhavan needs radical reforms"](#) लेख पर आधारित है। इसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के दैनिक-प्रतिदिन के कार्यकरण में राज्यपालों के कार्यालय द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और राज्यपाल के पद के संबंध में अपेक्षित सुधारों की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलम्ब के लिये:

[राज्यपाल](#), [अनुच्छेद 200](#), [अनुच्छेद 201](#), [अनुच्छेद 361](#), [पुंछी आयोग](#), [राष्ट्रपति](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [धन वधियक](#), [अनुच्छेद 31A](#), [वैकटचलैया आयोग](#), [राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत](#)।

मेन्स के लिये:

वधियकों के पारित होने से संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ, संबंधित चुनौतियाँ, विभिन्न समितियों द्वारा की गई सफारिशें और आगे की राह।

राज्यपाल (Governor) का पद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय महत्त्व रखता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसे हमारे लोकतांत्रिक शासन का एक महत्त्वपूर्ण तत्व माना जाता है जो सहयोग पर बल देने की भावना को प्रदर्शित करता है। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की भूमिका, शक्तियाँ और विकासधीन अधिकार लंबे समय से राजनीतिक, संवैधानिक एवं वधिक कक्षेत्रों में गहन बहस का विषय रहे हैं। वधियकों को अनुमति देने आदि विषयों में केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हाल के विवाद ने वृहत रूप से इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

राज्यपाल का पद कैसे अस्तित्व में आया?

- **स्वतंत्रता से पहले:**
 - वर्ष 1858 में भारत का प्रशासन ['ब्रिटिश क्राउन'](#) के अधीन आने के साथ 'गवर्नर' का पद अस्तित्व में आया। प्रांतीय गवर्नर क्राउन के एजेंट थे, जो गवर्नर-जनरल के अधीक्षण में कार्य करते थे।
 - [भारत सरकार अधिनियम, 1935](#) के माध्यम से नरिदष्टि किया गया कि गवर्नर प्रांत की वधियिका के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसके पास विशेष उत्तरदायित्व और विकासधीन शक्ति अब भी बनी रही।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
 - गवर्नर के पद पर [संवैधान सभा](#) में व्यापक बहस हुई, जहाँ नरिणय लिया गया कि ब्रिटिश काल में उसकी तय भूमिका को पुनःउन्मुख करते हुए इसे बनाए रखा जाए।
 - वर्तमान में, भारत द्वारा अपनाई गई शासन की संसदीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली के तहत गवर्नर (जहाँ हर्दि में अब 'राज्यपाल' शब्द का प्रयोग किया जाता है) को **किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head)** के रूप में परकिल्पति किया गया है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-से हैं?

- **अनुच्छेद 153** में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
 - अनुच्छेद 155 एवं 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को [राष्ट्रपति](#) अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- **अनुच्छेद 161** में कृषमा आदिकी और कुछ मामलों में दंडादेश के नलिंबन, परहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तिका उल्लेख किया गया है।
 - [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा है कि किसी बंदी को कृषमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्तिका प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार की सहमति से किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा अपनी इच्छा से।
 - वह राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
- **अनुच्छेद 163** में कहा गया है कि जहाँ राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह विकासानुसार कार्य करे, उन विषयों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिये एक मंत्रपरिषद होगी जिसका प्रधान [मुख्यमंत्री](#) होगा।

- **राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियाँ (Discretionary powers) नमिनलखिति परस्थितियों में परभावी होती हैं:**
 - राज्य वधिनसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नयुक्ति करना
 - **अवशिवास परस्तावों** के दौरान
 - राज्य में संवैधानिक मशीनरी की वफिलता के मामले में (**अनुच्छेद 356**)
- वधियकों को पारति करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ संवधान के **अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201** द्वारा परभाषति हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार, जब **राज्य वधिनमंडल** द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई वधियक प्रस्तुत कया जाता है तो उसके पास नमिनलखिति वकिल्प होते हैं:
 - वह वधियक पर अनुमति दे सकता है, जिसका अर्थ है कवधियक एक अधनियम बन जाता है।
 - वह **वधियक पर अपनी सहमति रोक सकता है**, जिसका अर्थ है कवधियक असवीकृत कर दिया गया है।
 - वह वधियक (यदयिह **धन वधियक** नहीं है) को वधियक या उसके कुछ प्रावधानों पर पुनर्वचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य वधियका को वापस कर सकता है।
 - यदवधियक को राज्य वधिनमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बना संशोधनों के दोबारा पारति कया जाता है तो **राज्यपाल इस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता**।
 - वह वधियक को **राष्ट्रपति के वचार के लयि आरक्षति कर सकता है, जो या तो वधियक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है**, या राज्यपाल को वधियक को पुनर्वचार के लयि राज्य वधिनमंडल को वापस करने का नरिदेश दे सकता है।
- **अनुच्छेद 361** में कहा गया है ककिसी राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लयि किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधति प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **संबद्धता आधारति नयुक्ति:** कई मामलों में देखा गया है कसित्तरूढ़ दल से संबद्ध राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को राज्यपाल के रूप में नयुक्ति कया गया है।
 - इससे पद की नषिपक्षता और गैर-पक्षपातपूर्णता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही, राज्यपाल की नयुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा की भी प्रायः अनदेखी की जाती है।
- **केंद्र के परतनिधि से केंद्र के एजेंट की ओर:** आजकल आलोचकों द्वारा राज्यपालों की 'केंद्र के एजेंट' होने के रूप में आलोचना की जाती है।
 - **वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय संवधान कार्यकरण समीक्षा आयोग'** ने माना कराज्यपाल अपनी नयुक्ति और पद पर बने रहने के लयि केंद्र के परत आभारी बना रहता है। इससे आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं कवह केंद्रीय मंत्रपरिषद द्वारा दिए गए नरिदेशों का ही पालन करेगा।
 - यह संवैधानिक रूप से नरिदष्टित तटस्थता के वरिद्ध है और इसके परणामस्वरूप पक्षपात की स्थिति बनती है।
- **वविकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग:** कई मामलों में राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कया गया है।
 - उदाहरण के लयि, आलोचक आरोप लगाते हैं क**राष्ट्रपति शासन** के लयि राज्यपाल की अनुशंसा हमेशा 'वस्तुनषिठ सामग्री' (objective material) पर आधारति नहीं होती है, बल्कराजनीतिक सनक या कल्पना पर आधारति होती है।
- **राज्यपालों को हटाना:** राज्यपालों को पद से हटाने के किसी लखिति आधार या प्रक्रया के अभाव में कई बार राज्यपालों को मनमाने ढंग से हटाया गया।
- **संवैधानिक एवं सांवधिक भूमिका के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं:** मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करने का संवैधानिक नरिदेश **कुलाधपति या 'चांसलर'** के रूप में उसके सांवधिक प्राधिकार से स्पष्ट रूप से अलग नहीं है, जिसके परणामस्वरूप राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच वभिन्नि संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
 - उदाहरण के लयि, हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा सरकारी नामांकन को दरकनार करते हुए एक वशिववदियालय में कुलपति की नयुक्ति की गई।
- **संवैधानिक खामियाँ:** संवधान में मुख्यमंत्री की नयुक्ति या वधिनसभा को भंग करने की स्थिति में **राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लयि कोई दशानरिदेश मौजूद नहीं है**।
 - इसके साथ ही, इस बात की भी कोई सीमा नरिधारति नहीं है कराज्यपाल किसी वधियक पर कतिने समय तक अपनी अनुमति को रोक रख सकता है।
 - इसके परणामस्वरूप, राज्यपाल और संबंधति राज्य सरकारों के बीच मनमुटाव पैदा होने की संभावना बनती है।

वभिन्नि समतियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए प्रमुख संवैधानिक सुधार कौन-से हैं?

- **सरकारिया आयोग (1988):**
 - राज्यपाल की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधति राज्य के **मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद** की जानी चाहयि।
 - राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में **परतषिठति व्यक्ती होना चाहयि** और उस राज्य से संबंधति नहीं होना चाहयि जहाँ वह नयुक्ति कया गया है।
 - दुर्लभ एवं बाध्यकारी परस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका **कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया** जाना चाहयि।
 - राज्यपाल को **केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु** के रूप में कार्य करना चाहयि न किकेंद्र के एजेंट के रूप में।
 - राज्यपाल को अपनी वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमति एवं वविकपूर्ण तरीके से करना चाहयि और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रया को कमजोर करने के लयि नहीं करना चाहयि।
- **एस.आर. बोममई नरिणय (1994):**
 - इस नरिणय के माध्यम से **शतरुतापूर्ण केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बरखास्तगी पर रोक** लगा दी गई।
 - नरिणय में कहा गया कवधिनसभा का पटल ही एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ **मौजूदा सरकार के बहुमत का परीक्षण कया जाना चाहयि**, न कराज्यपाल की व्यक्तीपरक राय के आधार पर।
- **वेंकटचलैया आयोग (2002):**

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधरीपति करने के लिये रिपोर्ट भेजना ।
2. मंत्रियों की नयुक्ति करना ।
3. राज्य वधानमंडल द्वारा पारित कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लिये आरक्षति करना ।
4. राज्य सरकार के कारय संचालन के लिये नयिम बनाना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचन सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/governors-in-the-limelight-calls-for-reform-in-india>

